



संज्ञा सं० एम. एम./एम. पी. 591

सांस्कृतिक सं० एम. पी. 591-51

सांस्कृतिक द. पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ब)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 1995

वैशाख 15, 1917 संक संभवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-5

संख्या 1347/9-आ-5-95-68-डी 0 ए 0-83

लखनऊ, 3 मई, 1995

अधिसूचना

आ 0-805

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित तथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और काम अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) और (7) के अन्तर्गत प्रयोजित एवं प्रयोज्य नगरों में सहायक नगरों की अधिसूचना संख्या 721/9-आ-5-95-68-डी 0 ए 0-83, दिनांक मई 1995 को अधीन इस रूप में घोषित सहारनपुर विकास क्षेत्र को तत्पुनः प्राधिकरण का, जैसा कि नीचे दिया है, गठन करते हैं जो सहारनपुर विकास प्राधिकरण कहलाएगा।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

- | | |
|---|-------------|
| (1) सहायक सेक्टर, मध्याह्न, सेक्टर | प्रध्यक्ष |
| (2) जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर | उपप्रध्यक्ष |
| (3) राज्य सरकार के आवास विभाग का सचिव या उसका सहाय-निर्देशिका जो संयुक्त सचिव में अधिसूचना पंजीत का हो | पदेन सदस्य |
| (4) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव या उसका सहाय-निर्देशिका जो संयुक्त सचिव में अधिसूचना पंजीत का हो | पदेन सदस्य |

उत्तर प्रदेश सभापालिका संकट, 5 मई, 1995

- (5) मूलर शहर तथा ग्राम योजनाकार, उ० प्र०, लखनऊ या उत्तर प्रदेश नगर-निर्देशिका को अधिष्ठाता पदेन सदस्य
समिति तथा शहर योजनाकार से समित्त पंक्ति का ही
- (6) प्रशासन-निदेशक, नगर विभाग, उ० प्र०, लखनऊ या उत्तर प्रदेश नगर-निर्देशिका को अधीक्षण पदेन सदस्य
समिति तथा से समित्त पंक्ति का ही
- (7) प्रमुख समित्तता, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र०, लखनऊ या उत्तर प्रदेश नगर-निर्देशिका को अधिष्ठाता पदेन सदस्य
समिति तथा समित्तता से समित्त पंक्ति का ही
- (8) सचिव (मेसरेजेंट), नगर पालिका परिषद्, सहारनपुर पदेन सदस्य।

द्वारा से,
विजय शर्मा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1347/IX-Awas-5-68-DA-83, dated May 3, 1995 :

No. 1347/IX-Awas-5-95-68-DA-83

Dated Lucknow, May 3, 1995

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (7) of section 4 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted with modification by the Uttar Pradesh President's Acts/Re-enactment with modification Act, 1974 (U. P. Act no. 30 of 1974) the Governor is pleased to constitute as under, an authority to be called the Saharanpur Development Authority for the Saharanpur Development Area declared as such under Government notification no. 721/IX-Awas-5-95-68 DA-83, dated May 3, 1995.

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Commissioner, Meerut Division, Meerut | Chairman |
| 2. District Magistrate, Saharanpur | Vice-Chairman |
| 3. Secretary to the State Government Department of Housing or his nominee not below the rank of Joint Secretary | Ex-officio member |
| 4. Secretary to the State Government Department of Finance or his nominee not below the rank of Joint Secretary | Ex-officio member |
| 5. Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh, Lucknow or his nominee not below the rank of Executive Engineer or Town Planner | Ex-officio member |
| 6. Managing Director, Jal Nigam, Uttar Pradesh, Lucknow or his nominee not below the rank of Superintending Engineer | Ex-officio member |
| 7. Engineer-in-Chief, Lok Nirman Vibhag, Uttar Pradesh, Lucknow or his nominee, not below the rank of Superintending Engineer | Ex-officio member |
| 8. President, Nagar Palika Parishad, Saharanpur | Ex-officio member |

By order,
VIJAY SHARMA,
Sachiv.

सं० १३४७/१९-अवास-५-१९९५-६८-८३ (३०३)---१९९५---२००५-११५ (पं०)।